हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

कार्यसूची

अष्टम् सत्र

सोमवार, 30 मार्च, 2015/9 चैत्र, 1937(शक्)

2.00 बजे (अपराह्न)

1. **प्रश्नोत्तर:**

    (1) **तारांकित :**

    दिन के लिए } पृथक सूची में मुद्रित प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उनके उत्तर दिए जाएंगे ।

    (2) **अतारांकित :**

    दिन के लिए } पृथक सूची में मुद्रित प्रश्नों के उत्तर सभा पटल पर रखे जाएंगे ।

2. **साप्ताहिक शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य:**

    श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री, वर्तमान सप्ताह की शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य देंगे।

3. **सदन की समितियों के प्रतिवेदन :**

    (1) **श्री रविन्द्र सिंह, सभापति, लोक लेखा समिति, (वर्ष 2014-15),** समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे :-

    (i) समिति का **98वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 74वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **युवा सेवाएं एवं खेल विभाग** से सम्बन्धित है;

    (ii) समिति का **99वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 75वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **युवा सेवाएं एवं खेल विभाग** से सम्बन्धित है;

(iii) समिति का **100वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 76वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **युवा सेवाएं एवं खेल विभाग** से सम्बन्धित है; और

(iv) समिति का **101वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 268वें मूल प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **प्रारम्भिक शिक्षा विभाग** से सम्बन्धित है।

(2) **श्रीमती आशा कुमारी, सभापति, लोक उपक्रम समिति, (वर्ष 2014-15),** समिति का **37वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 19वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2014-15) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत निगम लिमिटेड** से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगी तथा सदन के पटल पर रखेंगी ।

(3) **श्री गुलाब सिंह ठाकुर, सभापति, अधीनस्थ विधायन समिति (वर्ष 2014-15),** समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे :-

(i) समिति का **पंचम मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2014-15) जोकि बारहवीं विधान सभा के पंचम, षष्टम् एवं सप्तम् सत्रों के दौरान सांविधिक संगठनों, सरकारी कम्पनियों व अन्य स्वायतशासी संगठनों द्वारा सभा पटल पर उपस्थापित वार्षिक प्रतिवेदनों, लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की संवीक्षा से सम्बन्धित है; और

(ii) समिति का **षष्टम् मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2014-15) जोकि बारहवीं विधान सभा के पंचम, षष्टम् एवं सप्तम् सत्रों के दौरान उपस्थापित किए गए नियमों की समिति द्वारा संवीक्षा से सम्बन्धित है ।

(4) **श्री कर्ण सिंह, सभापति, ग्रामीण नियोजन समिति, (वर्ष 2014-15),** समिति का **13वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2014-15) जोकि महात्मा गान्धी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी कार्यक्रम की गतिविधियों से सम्बन्धित विषयों की समीक्षा पर आधारित तथा **ग्रामीण विकास विभाग** से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे ।

4. सांविधिक ईकाई हेतु मनोनयन:

श्रीमती विद्या स्टोक्स,सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मन्त्री, निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगी कि:-

"हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी एवं वानिकी अधिनियम 1986 की धारा 11(1)बी(7) के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश विधान सभा के दो सदस्यों को डा0 वाई0 एस0 परमार, औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी की अभिषद् (सीनेट) में दो वर्ष के लिए जिस दिन से अधिसूचना जारी हो तथा उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत स्टेटेच्यूट तथा रेगुलेशन के अधीन मनोनीत करने के लिए यह सदन माननीय अध्यक्ष महोदय को प्राधिकृत करता है।"

5. विधायी कार्य :

सरकारी विधेयक की पुर:स्थापना

श्री प्रकाश चौधरी, आबकारी एवं कराधान मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 12) का और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2015
(2015 का विधेयक संख्यांक 6)

वे विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे ।

6. वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए बजट अनुमान:-

वर्ष 2015-16 के लिए बजट अनुमानों की अनुदान मांगों का प्रस्तुतीकरण, चर्चा एवं मतदान।

(अनुदान मांगें पृथक सूची में मुद्रित हैं)

(पृथक सूचियों में मुद्रित कटौती प्रस्ताव भी प्रस्तुत किए जाएंगे)

शिमला-171 004 | सुन्दर सिंह वर्मा,
दिनांक: 27 मार्च, 2015 | सचिव ।

****

(अनुपूरक कार्यसूची, यदि कोई हो, की भी जांच कर लें)